भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 151
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: बाढ़ के कारण फसल का नुकसान
***151. श्री जय प्रकाशः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में आई बाढ़ से हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खरीफ और रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है;

(ख) क्या प्रभावित किसानों को हुए उक्त नुकसान का समय पर आकलन नहीं किया गया है जिसके कारण प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमा भुगतानों के निपटान में अनावश्यक विलंब हो रहा है;

(ग) वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ के कारण कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में उपज में कमी दर्ज की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने किसानों के फसल बीमा दावों को स्वीकृति प्रदान की गई और ऐसे दावों की कुल संख्या कितनी है जो अभी भी लंबित हैं और दावों के इस प्रकार लंबित रहने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा समय पर सर्वेक्षण किए जाने, बीमा दावों को एक निर्धारित समय-सीमा में निपटाने और किसानों को तत्काल राहत सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष निर्देश जारी किए गए हैं अथवा कार्य योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"बाढ़ के कारण फसल का नुकसान" के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 151 के भाग (क) से (ड.) तक के संबंध में उललिखित विवरण।

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) देश में खरीफ वर्ष 2016 सीजन से शुरू की गई थी। PMFBY संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई-पश्चात तक फसल क्षति के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना न केवल बाढ़, जलभराव आदि जैसी अप्रतिरोध्य प्राकृतिक आपदाओं और चरम जलवायु आपदाओं के कारण होने वाले व्यापक उपज नुकसान से बल्कि स्थानीय जोखिमों (जैसे जलभराव, बादल फटना आदि) के कारण खेत स्तर पर उपज नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि और बुवाई में रुकावट के कारण फसलोपरांत नुकसान से भी सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। सभी इच्छुक किसान इस योजना के अंतर्गत नामांकन कराने के लिए पात्र हैं।

हरियाणा राज्य वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत से ही इसे कार्यान्वित करती रही है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, खरीफ 2025 सीजन में आई बाढ़ से हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नुकसान हुआ। तथापि, रबी 2025-26 सीजन में फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

(ख): राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों को हुए नुकसान का समय पर आकलन किया गया है और खरीफ 2025 के लिए हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ और जलभराव के कारण स्थानीय आपदाओं से प्रभावित किसानों को 41.09 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (NPDM) के अनुसार, राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुरूप राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के रूप में उपलब्ध फंड से अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर राहत उपाय करती हैं। हरियाणा राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एसडीआरएफ में 636.80 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का हिस्सा 477.6 करोड़ रुपये + राज्य सरकार का हिस्सा 159.2 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए थे, जिसमें से केंद्र सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 477.6 करोड़ रुपये का अपना पूरा हिस्सा जारी कर दिया।

यह उल्लेखनीय है कि PMFBY के तहत अधिकांश दावों का निपटारा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर, अर्थात् संबंधित राज्य सरकार से बीमा कंपनियों द्वारा आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर किया जाता है। तथापि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में अतीत में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्य रूप से (क) राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के हिस्से के वितरण में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का भुगतान न होना/देरी से भुगतान होना या कम भुगतान होना (ग) उपज आंकड़ों में विसंगति और राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों के बीच परिणामी विवादों आदि के कारण थीं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटारा योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

(ग): PMFBY के अंतर्गत, कार्यान्वयन के लिए जिलों को अधिसूचित करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। हरियाणा राज्य द्वारा खरीफ 2023 और रबी 2023-24 के दौरान हिसार जिले में PMFBY कार्यान्वित नहीं की गई थी।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ड.): सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता लाने और दावों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** को सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के डायरेक्ट ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए बीमित किसानों के वैयक्तिक विवरण को अपलोड/प्राप्त करने तथा किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण करने सहित सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने हेतु डेटा के सिंगल सोर्स के रूप में विकसित किया है।
- दावों के भुगतान की प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी हेतु खरीफ 2022 से **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल आरंभ किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो NCIP के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।
- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से पृथक कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से अपने प्रीमियम हिस्से को जमा करने के लिए ESCROW खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **CCE-Agri ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स- (CCE) डेटा को कैप्चर करने और इसे NCIP पर अपलोड करने, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देने, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।
- वर्ष 2025-26 से ट्रांच बेस्ड दावा भुगतान की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।

******